

118

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0, ग्वालियर

प्र0क0 दो/निगरानी/मुरैना/भू-रा0/2018/1836

नवीन प्रकरण . 1836/2018

श्री रजनी अशोक शर्मा 2018  
16/3/18  
4-4-18  
16-3-18

सिद्धार पुत्र रसाल सिंह गुर्जर  
निवासी - बड़वारी, तहसील मुरैना,  
जिला मुरैना, म0प्र0

— आवेदक

विरुद्ध

- 1- श्रीमती उर्मिला पत्नी लालपति शाक्य
- 2- श्रीमती पूनम पत्नी लेखराज कुशवाह  
निवासीगण - चन्द्रनगर, शमशान रोड,  
लुङका बाबा के मंदिर के पास,  
ग्वालियर, म0प्र0

— अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 08.03.2018 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार, वृत्त - 9, परगना मुरैना के प्रकरण क्रमांक 99/बी-121/2016-17 से परिवेदित होकर प्रस्तुत है।

माननीय महोदय,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-


- 1- यह कि, अनावेदिका द्वारा ग्राम रिठौरकला के सर्वे क्रमांक 3512 रकवा 1.150 हैक्टेयर के इन्द्राज दुरुस्ती हेतु तहसीलदार मुरैना के न्यायालय में आवेदन-पत्र

3

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2018/1836

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 26-02-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p>	